न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : मानाराम पटेंल आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 355/2018

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1– उगम सिह पुत्र जवाहर सिह 2– डुंगर सिह पुत्र मूल सिह 3– भंवर सिह पुत्र फतेह सिह 4– गुमान सिह पुत्र फतेह सिह 5– हीर सिह पुत्र फतेह सिह 6– रेवत सिह पुत्र बगत सिह 7– किसनो देवी पत्नी बगत सिह 8– राजु सिह पुत्र बगत सिह 9– सायर देवी पत्नी माधो सिह 10–माधु सिह पुत्र बगत सिह 11–भागीरथसिह पुत्र हीर सिह 12–उदय सिह पुत्र भारत सिह 13–गणेश सिह पुत्र शेर सिह 14–रूगनाथ सिह पुत्र मोड सिह 15–मोहन सिह पुत्र भारत सिह 16–रावल सिह पुत्र करण सिह 17–श्यामलाल पुत्र उदयराज 18–सायरसिह पुत्र मोडसिह निवासीगण गांव कनोडिया तहसील बालेसर, जिला जोधपुर		1– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बालेसर जिला जोधपुर 2– उपखण्ड अधिकारी बालेसर जिला जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश कमांक/राजस्व/2018/142 दिनांक 27–2–2018 जो न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालेसर द्वारा पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री चैन सिह राजपुरोहित अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 व 2 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 20–9–2018

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालेसर ने तहसीलदार भू.अ. बालेसर के पत्रांक भू.अ./2017/866 दिनांक 26–5–2017 के द्वारा ऐसे कदीमी एवं बारहमासी सार्वजनिक प्रवृति के रास्ते जो मौके पर चालू है परंतु इनका राजस्व रेकर्ड व नक्शे मे अंकन नही होने से राज्य सरकार के परिपत्र के अनुसरण मे प्रस्ताव अनुसार पृथक से खसरा कायम कर गैर मुमकीन रास्ता दर्ज करवाने का निवेदन किया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने बाद जांच एवं मौका निरीक्षण कर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27–2–2018 के द्वारा तहसीलदार बालेसर द्वारा प्रस्तावित भूमि की किस्म गै0मु0रास्ता दर्ज करने परंतु भूमि निजी खातेदारी मे होने की सूरत मे पूर्ववत निजी खातेदारी मे रखने के आदेश पारित किये तथा नक्शे मे रास्ते की

अति० सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

भूमि का लाल स्याही से अंकन करने के आदेश पारित कर दिये । जिसके विरूद्ध वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

पक्षकारो के अधिवक्ता उपस्थित। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी । वकील अपीलांट ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने खातेदारो को नोटिस जारी कर, उनकी सुनवाई किये बिना, तथा खातेदारो से आपत्तियां आमंत्रित किये बिना ही स्वविवेक से निजी खातेदारो के खातेदारी के खसरा नंबरान की भूमि मे से सार्वजनिक रास्ता घोषित कर दिया, जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्त के विपरीत होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि रेस्पो0 द्वारा बिना कोई विधिक प्रकिया अपनाये, गैरकानूनी रूप से गांव के प्रभावशाली व्यक्तियो के साथ मिलीभगत कर बिना पंचायत का प्रस्तावएवं सहमति लिये अपीलांटगण को हानि पंहुचाने की नियत से जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो निरस्त योग्य है।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि कोई भी सार्वजनिक राग्ता बिना किसी प्रस्ताव पारित किये और खातेदारो की सहमति के बिना तथा मौका कमिश्नर द्वारा मौका मुआयना करवाये बिना विधिवत घोषित नही किया जा सकता है तथा कथन किया कि वर्तमान मामले मे उक्त रास्ते मे काफी खसरान की भूमि आती है इसलिए उन खसरान के खातेदारो की सहमति ली जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया जाना चाहिये था, परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसी कोई प्रकिया अपनाये जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो विधिवत नही होने से उसे निरस्त करने का निवेदन किया ।

अंत मे वकील अपीलांट ने उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27–2–2018 को निरस्त करने का निवेदन किया ।

उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने राज्य सरकार के परिपत्र अनुसार पुश्तैनी कदीमी रास्ते जो आम जन के लिए उपयोग मे आ रहे है तथा खातेदारो की सुविधा को देखते हुए जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, वह विधिसम्मत है ।

राजकीय अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि उक्त रास्ते की भूमि से 100 परिवार आना जाना करते है, बच्चे स्कूल जाते है, सार्वजनिक कुंआ तथा शमशान के लिए आना जाना पडता है, यदि इसे बंद कर दिया गया तो 3 किमी.मे रहने वाले खातेदार सभी प्रभावित होंगे इसलिए अपीलांट की इस अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

राजकीय अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि खातेदारी खेतो मे चल रहे कदीमी रास्तो के खसरो मे बट्टा नंबर डालते हुए खातेदारो के खाते मे ही रास्ते की भूमि रखी गई है, न तो भूमि अधिग्रहित की गई है न ही खातेदारो के खाते मे से कम की गई है, जो सभी काश्तकारो के भविष्य मे होने वाली परेशानियो से निजात दिलाने हेतु आदेश पारित किया गया है, जो विधिसम्मत होने से अपीलांट की अपील को खारीज करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय तथा तहसीलदार बालेसर से तलब की गई मौका रिपोर्ट दिनाक 5–9–18 जो उनके पत्र दिनांक 7–9–18 के सलंग्न इस कार्यालय को प्रेषित है, का भी अवलोकन किया ।

अधीनस्थ न्यायालय मे समक्ष तहसीलदार (भू.अ.) बालेसर ने एक प्रस्ताव अपने पत्रांक 866 दिनांक 26–5–2017 के जरिये ऐसे कदीमी रास्ते व बारहमासी सार्वजनिक रास्ते जो मौके पर चालू है परंतु उनका राजस्व रेकर्ड, जमाबंदी व नक्शे मे अंकन नही है, उन रास्तो को राज्य सरकार के परिपत्र कमांक प3(2)राज–6/2003/पार्ट/04 दिनांक 10–8–2016 के अनुसरण मे राजस्व रेकर्ड मे प्रस्तावित रास्तो को दर्ज करवाने का निवेदन किया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने मौका निरीक्षण कर तहसीलदार बालेसर द्वारा प्रस्तावित रास्तो को राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 10–8–2017 की मंशा अनुसार सही पाये जाने पर जो अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, वह विधिसम्मत प्रतीत होता है ।

प्रस्तुत वर्तमान अपील मे इस न्यायालय स्तर से भी तहसीलदार बालेसर से मौका रिपोर्ट तलब करने पर तहसीलदार बालेसर ने अपने पत्र दिनांक 7–9–18 के सलंग्न मौका फर्द दिनांक 5–9–2018 जो पटवारी हल्का कनोडिया एवं नायब तहसीलदार बालेसर द्वारा तैयार कर प्रस्तुत की है उसमे भी ग्राम कनोडिया पुरोहितान के खसरा नंबर 812 व समस्त रास्ते का मौका निरीक्षण किया जाने पर खसरा नंबर 812 मे रिपोर्ट मे बनाये गये नक्शे मे मार्क ए से बी तक रास्ता करीब 3 माह पूर्व डुंगरसिह पि0 मूलसिह जाति पुरोहित निवासी कनोडिया पुरोहितान ने बंद कर दिया था, जिसे मौका फर्द दिनांक 7–9–18 को तहसीलदार बालेसर के आदेश दिनांक 6–9–18 की पालना मे पुलिस दल के साथ राजस्व अधिकारियो ने मौके पर जाकर मौतबिरान के सामने खुलवाया गया जिसकी मौका फर्द भी तहसीलदार ब लेसर ने अपने उक्त पत्र के सलंग्न प्रेषित की है ।

तहसीलदार बालेसर से प्राप्त रिपोर्ट से भी स्पष्ट है कि अपीलांटगण ने स्वच्छ हांथो से यह अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत नही की है । ऐसे मे अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील सारहीन होने से खारीज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालेसर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27–2–2018 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 20–9–2018 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(मानाराम पटेल)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

अति० सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर